

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निवाड़ी, जिला निवाड़ी (म०प्र०)

Email: dmniwari@gmail.com

phone 07680-232101

क्रमांक: 273/ आरडीएम / 2018

निवाड़ी, दिनांक: 27/10/2018

आदेश


श्री लाल
By [Signature]
30.10.18

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र के क्रमांक/ईसीआई/पीएन/66/2018 दिनांक 06/10/2019 विधान सभा निर्वाचन 2018 के कार्यक्रम की घोषणा कर दिये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक/61/शा0लि0/अनु/2018 दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 द्वारा जिला अंतर्गत विधान निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष भयमुक्त वातावरण एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के लिये तथा मतदान केन्द्रों पर बलात कब्जा रोकने, मतदान/निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को डराने-धमकाने व उन पर अनुचित प्रभाव डालने जैसी घटनाओं को रोकने के लिये निर्वाचन सम्पन्न होने तक जिले के समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस म०प्र० शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) (बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला निवाड़ी की राजस्व सीमा अंतर्गत समस्त थाना क्षेत्रान्तगत स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञप्तियों आदेश जारी होने के दिनांक से दिनांक 15 दिसम्बर 2018 तक के लिए निलम्बित की जाकर आदेशित किया गया था कि आदेश जारी दिनांक से सात दिवस की विहित समयवधि में समस्त आग्नेय शस्त्र अपने संबंधित थाना में जमा कराई जावे। आज दिनांक 28/10/2018 को समीक्षा किये जाने पर ज्ञात हुआ, कि सभी शस्त्र लायसेंसधारियों द्वारा अपने शस्त्र अभी भी संबंधित थाने में जमा नहीं कराये गये हैं।

अतः जिला निवाड़ी अंतर्गत ऐसे शस्त्र लायसेंसधारियों जिन्होंने अभी तक अपने शस्त्र संबंधित थाने में जमा नहीं कराये हैं, उन्हें दिनांक 02/11/2018 तक शस्त्र जमा कराये जाने हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। दिनांक 02/11/2018 तक शस्त्र जमा न कराये जाने की दशा में उनके शस्त्र लायसेंस निरस्त करते हुए, उनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 30 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश कार्यालयीन आदेश क्रमांक/61/शा0लि0/अनु0/2018 दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 जिन्हे छूट दी गई है, एवं जिन्होंने अभी तक शस्त्र जमा कराये जाने से छूट दिये जाने हेतु आवेदन-पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किये हैं, उन पर लागू नहीं होगा।

आदर्श आचरण संहिता लागू हो चुकी है, ऐसी स्थिति में संबंधितों की सुनवाई किया जाना संभव नहीं होने से एकपक्षीय आदेश पारित किया जाता है।


(अक्षय कुमार सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला-निवाड़ी (म०प्र०)